

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशांक-वा0क0अधि0/पू0पी0ग0)/ / 19, लखनऊ :: दिनांक : 18 : अप्रैल-2019,

-:: आदेश ::-

सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-प्रथम गाजियाबाद के पत्रांक-100/19 दिनांक 28.02.2019 एवं पत्रांक-121/19 दिनांक 15.04.2019 पर सम्यक विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश वैट नियमावली-2008 के नियम 64 (3) में निहित शक्तियों के अधीन सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-प्रथम गाजियाबाद में पूर्ण पीठ से सम्बन्धित लम्बित निम्नलिखित 02 द्वितीय अपीलों की सुनवाई/निस्तारण हेतु दिनांक 03.05.2019 व 04.05.2019 के लिए श्री आलोक कुमार त्रिवेदी, एच0जे0एस0, न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-बरेली, श्री अरूण कुमार जैन, सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-2, गाजियाबाद तथा श्री इन्द्र कुमार मिश्र, सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-मुरादाबाद को सम्मिलित करते हुए गाजियाबाद में पूर्ण पीठ गठित की जाती है।

क0सं0	अपील संख्या	फर्म का नाम	धारा/नियम
1	409/16	सर्वश्री शेफा इंजीनियर्स प्रा0लि0 डी-07, साइट-4, इंड0 एरिया साहिबाबाद, गाजियाबाद।	---
2	410/16	सर्वश्री सी0एन0बी0इंजीनियरिंग, प्रा0लि0, डी-29, साइट-4, इंड0 एरिया, साहिबाबाद, गाजियाबाद।	2012-13 प्रवेश कर

तदनुसार सम्बन्धित अधिकारी/ पीठ कार्यालय को सूचित किया जाये।

ह0-18.04.19

(प्रेम कला सिंह)

एच0जे0एस0,

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन - वा0क0अधि0/पू0पी0ग0/409 / 2019, तददिनांकित
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-प्रथम/द्वितीय गाजियाबाद।
- 2-सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-बरेली।
- 3-सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-मुरादाबाद।
- 4-कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 5-मुन्सरिम/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता/विवरण/कम्प्यूटर/) मुख्यालय।
- 6-सम्बन्धित राज्य प्रतिनिधि/अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव द्वारा पीठासीन अधिकारी।

माननीय अध्यक्ष महोदया की आज्ञा से,

निबन्धक,
वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।